

पृष्ठभूमि

- 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। परिणामस्वरूप यूरोप में बहुशक्ति केन्द्रों का विकास हुआ।
- 20वीं सदी के आरम्भिक दशक में फ्रैंकफर्ट की संधि व गुटबंदी के फलस्वरूप दो गुट अस्तित्व में आ चुके थे।
- युद्ध का अन्त इस आश्वासन पर हुआ था कि विजयी व पराजित राष्ट्रों में संधि विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर होगी।
- परिणामस्वरूप सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने युद्ध शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

पेरिस शांति सम्मेलन-1919

- प्रथम विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों जैसे- ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने धुरी राष्ट्रों और उसके सहयोगी आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की को पराजित किया था।
- विजयी राष्ट्रों ने युद्धोत्तर काल की समस्याओं को सुलझाने के लिए पेरिस में 18 जनवरी 1919 ई. के एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया।
- इसमें पराजित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के 27 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्य सम्पादन व संधि कार्यों के लिए चार व्यक्तियों की परिषद् नियुक्त की गई।
- यह चार व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांसिस प्रधानमंत्री क्लीमेंशु तथा इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो थे। किन्तु कालांतर में इटली के प्रधानमंत्री विटोरियल इमैनुअल ओरलैंडो इससे बाहर हो गए थे, अतः शांति परिषद् में उपर्युक्त तीन नेताओं का ही वर्चस्व बना रहा।

महत्वपूर्ण व्यक्तित्व

- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की इच्छा के विरुद्ध पराजित देशों को अपमानित कर उनके प्रतिनिधियों को समुचित स्थान नहीं दिया गया।

पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो तथा जापान के प्रधानमंत्री साइओजी किनमोची शामिल हुए।

फ्रांस का प्रतिनिधित्व क्लेमेंशु ने किया और उसे ही सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समय रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हो चुका था। अतः रूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया।

वुडरो विल्सन


- अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का सम्मेलन में महत्वपूर्ण स्थान था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्धकाल में ही संधि के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उसने अपने 14 सूत्रीय घोषणा के द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास किया।
- विल्सन ने इस बात पर बल दिया कि युद्ध के पश्चात् न्याय एवं स्थायी शांति की स्थापना की जाए। जिसका आधार साधारण नागरिकों की निष्पक्ष इच्छा हो, विल्सन के अनुसार किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए तो वह सम्बंधित राज्य की प्रजा की इच्छानुसार हो। इस तरह उन्होंने राष्ट्रीयता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
- जर्मनी में उसे तटस्थ नैतिकता और बुद्धिमता का वाहक समझा जाता था। सामान्यतः वह राष्ट्रवादी और पोलैण्ड की स्वतंत्रता का समर्थक था। वे जर्मनी से बदला लेने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना को अधिक महत्व दिया और इसके लिए यूरोपीय राष्ट्रों से समझौते भी किए।
- व्यावहारिक दृष्टि से विल्सन के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था। उसे यूरोपीय समस्याओं का सीमित ज्ञान था। कूटनीति की दृष्टि से वह लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंशु की तुलना में कम पारंगत था। इसलिए आदर्शवादिता का लाभ इन नेताओं द्वारा खूब उठाया गया। वास्तव में संधि के अंतिम प्रारूप में विल्सन के सिद्धांतों को अधिक महत्व नहीं दिया गया।

विल्सन के 14 सूत्र

- विल्सन ने अमेरिका के युद्ध उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपनी कोई स्वार्थपूर्ति नहीं करनी है, हमें किसी विजय या प्रदेश की आकांक्षा नहीं है, हम तो केवल मानव जाति के

प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीयकरण

-  नवीन स्वतंत्र राष्ट्र
-  संयुक्त रोजगार क्षेत्र
-  निः सैन्यीकृत क्षेत्र



अधिकारों के रक्षक है। 8 जनवरी, 1918 ई. को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए एक संदेश में विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। जिनके आधार पर न्यायपूर्ण शान्ति स्थापित की जा सकती थी। ये 14 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित थे-

1. भविष्य में शांति-संधियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट की जाएँ और किसी प्रकार के गुप्त कूटनीतिक समझौते न किए जाएँ। इस सूत्र का सभी देशों द्वारा पालन किया गया।
2. शान्ति एवं युद्धकाल में समुद्रों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और वे सबके लिए सुरक्षित एवं खुले रहें। इस सूत्र की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि विराम सन्धि से पहले ही मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएँ और सभी राज्यों को व्यापार करने हेतु समान अवसर प्राप्त हो। यद्यपि अनेक देशों

द्वारा इस सूत्र का पालन नहीं किया गया, किन्तु राष्ट्र संघ की धाराओं में इसे स्वीकार किया गया है।

4. सभी राज्य केवल उतने ही हथियार रखने का आश्वासन दें जितने आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, अर्थात् सूत्र में शस्त्रों को नियंत्रित करने की बात की गई। संधि में पराजित राष्ट्रों की सैन्य शक्ति को सीमित तो किया गया लेकिन अन्य देशों द्वारा इस सूत्र का पालन नहीं हुआ।
5. सभी राष्ट्रों के औपनिवेशिक दावों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निपटारा होना चाहिए। किन्तु ऐसे मामलों का निर्णय करते समय वहाँ की सरकार की प्रभुता के दावे के साथ-साथ उन क्षेत्रों की जनता के हितों को समान रूप से महत्व दिया जाए। इस सूत्र के अन्तर्गत जर्मनी एवं टर्की के उपनिवेश राष्ट्र संघ को सौंपे गए और राष्ट्र संघ ने इन्हें विभिन्न देशों को सौंपा।
6. रूस की भूमि से जर्मनी की सेनाएँ हटा ली जाएँ और उसे संघ में शामिल किया गया।
7. बेल्जियम से जर्मन सेनाएँ हटा ली जाएँ और इसको पुनः पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य बनने का अवसर प्रदान किया जाए। यह सूत्र भी पूरा हुआ और बेल्जियम को स्वतंत्रता दे दी गई।
8. सम्पूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र से जर्मनी की सेनाएँ हट जाएँ तथा अल्सास-लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया जाए। वर्साय की सन्धि के तहत यह सूत्र भी पूरा हुआ।
9. राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आधार पर इटली की सीमाएँ पुनः निर्धारित की जाएँ। इस सूत्र का पालन नहीं किया गया।
10. ऑस्ट्रिया, हंगरी की जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन स्थापित करने का अवसर दिया जाए, यह सूत्र भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया।
11. रोमानिया, सर्बिया तथा मॉन्टेनेग्रो से मध्य यूरोपीय राज्यों की सेना हटा ली जाएँ और उनके अधिग्रहित प्रदेश लौटा दिए जाएँ। बाल्कन राज्यों को राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखण्डता की अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी द्वारा सुरक्षा की जाए। इस सूत्र की पूर्ति के तहत बाल्कन राज्य की व्यवस्था की गई।
12. तुर्की के आटोमन साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे एवं शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो। इस सूत्र का पालन नहीं हुआ क्योंकि गैर-तुर्क जातियों द्वारा बसे प्रदेशों को स्वतंत्र नहीं किया गया और इनका शासन मित्रराष्ट्रों को सौंप दिया गया।
13. एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण हो और पोलैंड को स्वतंत्र समुद्री मार्ग दिया जाए। इस सूत्र की पूर्ति हुई।